// To be issued in Hindi //

<u>Most Immediate</u>
<u>RTI Matter</u>

No. A.42012/65/2013-Ad-II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

.....

New Delhi, the 11th July, 2014

To
Smt. Sheetal Sagar
3286/87, Arya Pura
Sabji Mandi, Delhi-110007

Sub. : Information sought under RTI Act, 2005-Reg.

......

Sir,

Please refer to your RTI application dated 30.05.2014 received in this section on 18.06.2014 seeking information about Outsource employees (Data Entry Operator). The point-wise reply/information in respect of various points raised by you are as under:

1. The contract is awarded through tendering process for supplying of required number of DEOs.

2.& 4. As per the agreement made between MHA and the firm, "The contractor shall also comply with all labour laws in relation to its employees including payment of minimum wages as laid down by or under any law". Hence, it's varies from time to time.

3. This Ministry makes the consolidated payment to the firm including EPF, ESI, Services Charges and other charges according to the bid submitted by the firm. Further, as per agreement, the contractor is bound to fulfill all the statutory & legal obligations under the prevailing Laws.

5. The DEOs are not engaged through the Govt. Agencies.

6. The information sought therein involves collection and compilation of data from the records of monthly payment made to firm, resulting in disproportionate diversion of resources of this Ministry, which is not covered under the purview of RTI Act, 2005.

7. As per the Contract made by this Ministry, the DEOs with qualification Graduates and above are only engaged.

8. This Ministry makes the contract with the firm for a period of one year as per the Minimum Wages Act.

9. This Ministry has deployed outsourced employee (DEOs) to attend to various typing and data entry related works.

2. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chouhan, Joint Secretary(Admn.), Ministry of Home Affairs, Room No. 194, North Block, New Delhi-110001 and the appeal, if any, can be made within 30 days of issue of this reply.

Yours faithfully

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary to the Govt. of India
Tel: 2309 4376

Copy to :

(5) S.O., RTI Section, MHA w.r.t. O.M. no. A.43020/01/2014-RTI dt. 12.06.2014
(6) S.O. IT along with a copy of RTI application for uploading in MHA website under 'RTI Act'.

.री.आई-प्रशा०
1/6/2014

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

MHA/Ad. II
Dy. No. 445-H
Date 18/6/2014

नई दिल्ली, दिनांक : 12/06/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री~~/श्रीमती/~~सुश्री~~ .... सागर ....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में ~~श्री~~/श्रीमती/~~सुश्री~~ .... सागर .... के दिनांक: 30/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक: 09/06/2014 को प्राप्त) को........ प्रशासन... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 10/06/2014 की रसीद सं. 29928 ....के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

उपसचिव (स्थापना) (प्रशासन-II हेतु)
गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ श्रीमती .... सागर
3286/87, आर्यपुरा,
सब्जी मंडी, दिल्ली - 110007.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Pl. put up

17/6

SO (Ad.II)

18/6

(2

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 29928 दिनांक Dated 10/8/2014

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. श्रीमती शांति सागर

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक Dated 20

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
~~Banker's Cheque~~/Draft/Indian Postal Order No. 13F 859902 Rs. 10/-

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

रूपये / *Rs.* 10/-

पदनाम / Designation

4141/RTI/MHA/2014
10/6/14

(2)

दिंनाक – 30.05.2014

सेवा में,

सी.पी.आई.ओ.,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली -110001

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
09 JUN 2014
क्रे.र.सं.
C.R. No. 648
के. र. अनुभाग / CR Section/North Block

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महोदय,

मैं श्रुती विभाग से निमनलिखित बाते जानना चाहती हूँ :

1 • मैं विभाग से यह जानना चाहती हूँ कि ठेकेदार के द्वारा जो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाते है। उन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को भर्ती करने की प्रतिक्रिया क्या है ?

2 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कितना वेतन दिया जाता है और जो वेतन दिया जाता है क्या वह भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार की न्यूनतम वेतन के अनुसार दिया जाता है ?

3 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के वेतन में से कर्मचारी राज्य बीमा निगम फंड और ईपीएफ फंड में उसके वेतन का कितना प्रतिशत अंशदान लिया जाता है तथा ठेकेदार के द्वारा कितना प्रतिशत दिया जाता है तथा ठेकेदार को सेवा कर कौन देता है और कैसे ? इसकी पूर्ण प्रतिक्रिया बताये अथवा ठेकेदार के द्वारा ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा पूर्णरुप से ना देने पर विभाग द्वारा ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की जाती है ? यह बताया जाये, क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, आपके विभाग में । यदि हॉ तो विवरण दें ।

4 • दिल्ली सरकार द्वारा महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है, मैं विभाग से जानना चाहती हूँ कि विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को इस सुविधा का लाभ मिलता है या नही, यदि हॉ तो कैसे, अगर नही तो क्यों नही और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ये बताये ?

30 (Ad-II)

5 • क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सरकारी एजेंसी के द्वारा ही रखे जाते है । यदि हॉ तो कैसे और यदि नही तो क्यों ?

6 • मैं विभाग से जानना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को पिछले 5 सालों में वेतन क्या और कैसे दिया गया है।

7 • विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को विभाग ने किस श्रेणी में रखा है। कौशल/अकुशल/स्नातक, 12वी पास और मैं विभाग से यह भी जानना चाहती हूँ कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को दिया जा रहा वेतन उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही दिया जा रहा है या नही।

8 • क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की प्रत्येक वर्ष वेतन बढोतरी होती है, यदि हॉ तो किस आधार पर और यदि नही तो कारण बताये ?

9 • डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की विभाग में कार्य क्या होता है, क्या सिर्फ कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य होता है या अन्य कोई और कार्य भी लिया जाता है।

धन्यवाद,

भवदीय

शीतल सागर

श्रीमती शीतल सागर

3286/87, आर्य पुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली - 110007

Enclose: - I.P.O No. 13 F, 859902 Dated – 29.05.5014, Rs/10